

संदर्भ संख्या/Ref. No. AC/S-20/2024/

दिनांक/Date: 01.04.2024

उपस्थिति सूचना/ATTENDANCE NOTICE

दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यादेश (8) (ए) एसीटी-III के अनुसार, सभी छात्रों को परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पात्र होने के लिए व्याख्यान, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल में न्यूनतम 66.67% उपस्थिति बनाए रखना अनिवार्य है।


As per the Delhi University Ordinance (8) (a) ACT-III, it is mandatory for all students to maintain a minimum of 66.67% attendance in lectures, tutorials and practical in order to be eligible for appearing in the examinations.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक है कि जिस छात्र की व्याख्यान, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल में कम उपस्थिति होगी, उसे परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्र के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करते समय प्राचार्य/उपस्थिति समिति का निर्णय अंतिम होगा।

In view of above, it is mandated that the student who possess low Attendance in lectures, tutorials and practical will not be allowed to appear in the Examinations. Decision of the Principal/Attendance Committee will be final while allowing or rejecting the request of the student.

सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और सुनिश्चित करें कि वे आवश्यक उपस्थिति प्रतिशत बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में उपस्थित हों।

All students are advised to take this matter seriously and ensure that they attend their classes regularly to maintain the required attendance percentage.


प्रो मनीज सिन्हा /Prof. Manoj Sinha
प्राचार्य/संस्था प्रमुख Principal/Head of The Institution
आर्यभट्ट महाविद्यालय/Aryabhatta College

प्रो० प्राचार्य/Prof. Principal
आर्यभट्ट महाविद्यालय/Aryabhatta College
दिल्ली विश्वविद्यालय/University of Delhi
बेनितो हुआरेज रोड/Benito Juarez Road
नई दिल्ली 110021/New Delhi-110021

Copy to: A.O (Admn.), S.O (Admn.), College Website, Notice Boards